न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 105 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. खेताराम पुत्र मूलाराम
2. बबरी पत्नी थानाराम
3. मांगीदेवी पत्नी अलसाराम
4. चिमुदेवी पत्नी खेताराम
5. थानाराम पुत्र जोधाराम
6. अलाराम पुत्र जोधाराम जाति कुम्हार निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.मांगाराम पुत्र शेराराम
2.राणाराम पुत्र शेराराम
3.बाबूलाल पुत्र शेराराम
4.सुखाराम पुत्र शेराराम
5.मेहराराम पुत्र शेराराम
6.रूखमा पत्नी शेराराम
7.मांगाराम पुत्र खींयाराम
8.मिसराराम पुत्र खींयाराम जाति कुम्हार निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
9.प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे शाखा धौरीमन्ना।
10.तहसीलदार, सेड़वा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 183/2015 बअनवान मांगाराम वगैरा बनाम खेताराम वगै. निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंघल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंट संख्या 01,02 व 04 से 06,08 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 14.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का संयुक्त खतोदारी का पैतृक खेत मौजा ग्राम गंगासरा पटवार क्षेत्र गंगासरा तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 636 रकबा 75.06 बीघा व मौजा बांधनिया पटवार हल्का गंगासरा तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 621 रकबा 21.14 बीघा का आया हुआ है, जिस पर वक्त सेटलमेंट वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में वादीगण संख्या 01 से 06 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 7 व 8 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। संयुक्त दर्ज होने से तथा कानूनी बंटवाड़ा न होने से तथा हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले हुऐ नहीं होने के कारण हिस्सों को लेकर विवाद रहता है जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कारण वादीगण अपने हिस्से की घोषणा, बंटवाड़ा करवाने हेतु यह वाद अधीनस्थ नयायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम सम्मन जारी किये गये तथा हस्तगत प्रकरण के सम्मन अपीलांटगण से व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं करवाकर तामिल कुन्निदा से मिलकर अपीलांटगण के फर्जी अगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर कर सम्मन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये। अपीलांटगण की अनुपस्थिति में दिनांक 08.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार चौहटन ने उतरदातागण से मिलकर एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अधीनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट में पेश कर दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सम्यक रूप से जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दिनांक 09.04.2019 को अधिवक्ता अपीलांट ने आवेदन अंतर्गत आदेश 26 नियम 09 सहपठित धारा 151 सी पी सी वास्ते तथ्यात्मक व मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत पेश किया जिस पर उसी रोज न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया गया कि प्रार्थी चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय में इसके लिए आवेदन कर दे परन्तु न्यायालय हाजा में मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत अवेदन में कोई समुचित कारण विद्यमान नहीं हैं। प्रार्थी इसका औचित्य सिद्ध नहीं कर पाया है। यह आवेदन अपील मीमों में उठाए एतराजात से एकदम भिन्न एवं नये बिंदुओं को अंकित करके प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, विभाजन प्रस्ताव, उसमें रेस्पोडेंट संख्या 01 के हिस्से में पृथक की गई भूमि का रकबा इत्यादि के अनुरूप नहीं होकर कपोल कल्पित एवं तथ्यों से परे होने से मान्य नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया गया। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम सम्मन जारी किये गये तथा हस्तगत प्रकरण के सम्मन अपीलांटगण से व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं करवाकर तामिल कुन्निदा से मिलकर अपीलांटगण के फर्जी अगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर कर सम्मन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये। अपीलांटगण की अनुपस्थिति में दिनांक 08.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार चौहटन ने उतरदातागण से मिलकर एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय के कैम्प कोर्ट में पेश कर दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सम्यक रूप से जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण को हस्तगत वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2016 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी की गई। अरसा 15 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 से 08 ने अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर उन्हें बेदखल करने का प्रयास करने लगा जिस पर अपीलांटगण ने ऐसा करने का कारण पूछा तो उतरदाता संख्या 01 से 08 ने अपीलाधीन निर्णय अपने पक्ष में होना जाहिर किया। तब अपीलांटगण ने अपने हक–हकुकों के लिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 29.08.2016 को मांगी जो नकलें तैयार होकर दिनांक 29.08.2016 को प्राप्त हुई एवं वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण द्वारा पेश अपील मियाद बाहर है जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील को पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। इसलिए अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा दी गई दलील वाजिब है कि भविष्य में विवादित भूमि में से गुजरने वाली सड़क की चौड़ाई बढाई जा सकती है लिहाजा सभी पक्षकारों को भूमि उसमें समान रूप से जाए। अतः अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है कि खसरा नं. 621 व 636 में से गुजरने वाली सड़क के दोनों ओर 10–10 फीट की भूमि सीमा में आने वाली भूमि की गणना कर तदनुसार सहखातेदारों के बीच प्रस्तावित विभाजन में आंशिक उपयुक्त एवं युक्तिसंगत तब्दीली कर दी जावे इसके लिए तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है किवह तदनुसार तरमीम करना सुनिश्चित करे।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 183/2015 बअनवान मांगाराम वगैरा बनाम खेताराम वगै. निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016 को उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा उपरोक्त निर्देशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वांछित तरमीम कर पालना पठावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

14/6/19

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner